पंजीकृत डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/शिका/सेल.3/एफ.159/सागर/2017/195 भोपाल, दिनांक 25-1-18

प्रति,

डॉ.एन.के.सैनी,
तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
वर्तमान में जिला कुष्ठ अधिकारी,
जिला सागर (म.प्र.)।

द्वारा:-क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर म.प्र.।

विषय:-विभागीय जांच-डॉ.एन.के.सैनी, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वर्तमान में जिला कुष्ठ अधिकारी, सागर म.प्र.।

आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 14(3) अंतर्गत आपके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका उल्लेख संलग्न आरोप पत्र में दिया गया हैं। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित है, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिनके आधार पर आरोप आधारित है, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिनके आधार पर आरोप प्रस्तावित है, वह भी संलग्न है।

1. आपसे इस पत्र के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को भेजते हुये बतावे कि:-

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजे।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्ही अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है, तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप पत्रादि के साथ संलग्न अभिलेखों का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

2. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

3. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृती अविलंब भेजने की व्यवस्था करे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

संलग्न:-1.आरोप पत्र,
2.अभिकथन पत्र,
3.अभिलेखों की सूची
4. गवाहों की सूची.

(डॉ.जे.पी.खरे)
उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश.

पृ०क्रमांक 4/शिका/सेल.3/एफ.159/सागर/2017/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर, जिला सागर म.प्र.।
4. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर आरोप पत्र की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ.सैनी को जारी आरोप पत्र की तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट एंव प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्तकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सागर म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त) स्थानीय कार्यालय की ओर नस्ती क्र०402 दिनांक 27.11.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
7. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल/अविज्ञप्त शाखा स्थानीय कार्यालय।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर आरोप पत्र की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आरोप पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

आरोप–पत्र

डॉ.एन.के.सैनी, तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, सागर वर्तमान मे जिला कुष्ठ अधिकारी के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जांच के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते है:–

आरोप कमांक 1.

यह कि आप डॉ.एन.के सैनी वर्तमान में जिला कुष्ठ अधिकारी के पद पर जिला सागर में पदस्थ है।

यह कि आपके द्वारा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सागर के प्रभार में रहते हुये सागर जिले में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी/3–4/1/3/06, दिनांक 18.8.2008, कमांक सी/ 3–17 /2009/1/3, दिनांक 01.07.2010 एंव कमांक सी 3–12/2013/1/3, दिनांक 29.9.2014 ,कमांक सी, 5–1/2016/1/3,दिनांक 31.8.2016 एंव कमांक सी. 5–1–2016–1–3, भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2017 द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करते हुए कार्यभारित एंव आकस्मिकता निधि से वेतन पानेवाले दिवंगत कर्मचारी के परिवार के 8 व्यक्तियों की नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान की गई है।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफल रहते हुये सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रों के प्रावधानों का उल्लंघन तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के उप नियम एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन कर स्वंय को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अभिकथन पत्रक

डॉ.एन.के.सैनी, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, सागर वर्तमान में जिला कुष्ठ अधिकारी, सागर के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जांच के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम,1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत आरोप पत्र के समर्थन में कदाचारों का विवरण पत्रक

आरोप कमांक :1 के लिये:—

यह कि आप डॉ.एन.के.सैनी, वर्तमान में जिला कुष्ठ अधिकारी के पद पर सागर में पदस्थ है।

यह कि आपके मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सागर के प्रभार में रहते हुये सागर जिले में की गई अवैध अनुकंपा नियुक्तियों के संबंध में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर के पत्र कमांक शिका/2017/7921, सागर दिनांक 09.10.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ (परिशिष्ट—1)। अवैध रूप से की गई अनुकम्पा नियुक्तियों की शिकायतों के संबंध में वर्तमान मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सागर द्वारा पांच सदस्यी समिति का गठन कर जांच कराई गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे:—

1. डॉ.एल.के.कटारे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सागर।
2. डॉ.डी.के.गोस्वामी, क्षयरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सागर।
3. डॉ.व्ही.एस.तोमर, नेत्ररोग विशेषज्ञ,जिला चिकित्सालय, सागर।
4. डॉ.एस.आर.रोशन,जिला टीकाकरण अधिकारी, सागर।
5. डॉ.शाजिया तबस्सुम, जिला मलेरिया अधिकारी, सागर।

जांच समिति द्वारा शिकायत की जांच की जाकर प्रतिवेदित किया गया है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से कार्यभारित एंव आकस्मिकता निधि से वेतनपाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत् विभिन्न परिपत्रों की विवेचना की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी/3—4/1/3/06, भोपाल, दिनांक 18.8.2008 की कंडिका 12.1. में स्पष्ट लेख है कि कार्यभारित/आकस्मिक निधि से वेतन पानेवाले एंव दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एकमुश्त एक लाख रूपये की राशि अनुकंपा अनुदान से दिये जाने का निर्देश है। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक 3—17/2009/1/3, दिनांक 01.7.2010 उपर्युक्त कंडिका 12.1 में राशि रूपये एक लाख के स्थान पर रूपये 1.25 लाख किये जाने तथा परिपत्र कमांक सी 3—12/2013/1/3, दिनांक 29 सितंबर,2014 की कंडिका 11.1 में राशि रूपये 2.00 (रूपये दो लाख) अनुकंपा अनुदान के रूप में दिये जाने के निर्देश है।

इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी.5—1/2016/1/3, भोपाल, दिनांक 31.8.2016 अनुसार कार्यभारित एंव आकस्मिकता निधि से वेतन पानेवाले सेवा के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिये अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान विद्यामान व्यवस्था अनुसार किया जाए। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.9.2014 में जारी दिशा निर्देशों के मापदण्ड के अनुरूप ही कार्यभारित

निरंतर.............

एंव आकस्मिकता निधि से सेवा से वेतन पानेवाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर उनके आश्रित को इसी सेवा की स्थापना के रिक्त पदो पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी, 5—1—2016—1—3, भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2017 में स्पष्ट किया गया है कि **"कार्यभारित एंव आकस्मिकता निधि सेवा के कर्मचारियों के लिये अनुकंपा नियुक्त दिनांक 31.08.2016 से ही प्रभावशील है, इसके पूर्व प्रकरण दिनांक 29.9.2014 को अनुकंपा के जारी निर्देशों के प्रावधान अनुसार ही निराकृत किये जायेंगे अर्थात् उन्हें केवल अनुकंपा अनुदान की पात्रता होगी अनुकंपा नियुक्ति की नहीं।**

जांच समिति द्वारा प्रतिवेदित किया है कि निम्न तालिका में अंकित व्यक्तियों को आपके द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है, उन्हें अनुकम्पा अनुदान की पात्रता आती थी, किन्तु आपके द्वारा सामान्य प्रशासन प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों का अवलोकन/परीक्षण किये विना ही अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान की गई:—

क्र	अनुकपां नियुक्त प्राप्त व्यक्ति का नाम, पदनाम एंव पदस्थापना स्थल	कार्यभारित/ आकस्मिका निधि से वेतन पानेवाले दिवंगत कर्मचारी का नाम पदनाम एंव पदस्थापना स्थल	मृत्यु दिनांक	नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त दिनांक	आवेदन लंबित रखें जाने की अवधि	अनुकंपा नियुक्ति दिनांक एंव आदेश	अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता अथवा अनुकंपा अनुदान की पात्रता.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री विपिन वाल्मिकी, फील्ड वर्कर(कांटी.) कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी सागर.	श्री विनोद वाल्मीक स्वीपर,प्रा०स्वा०केन्द शाहपुर, जिला सागर.	04.8.2011	29.8.2011	6 वर्ष	स्था.अवि/ 16/290 दिनांक 13.01. 2017	सा०प्र०वि० के पत्र कमांक 3—17/09/ 1/3 /दिनांक 01.7. 2010 अनुसार एक लाख पच्चीस हजार अनुकंपा अनुदान की पात्रता
2.	कोमल वाल्मिक, वार्डबाय (कांटी.) प्रा०स्वा०केन्द्र, खिमलासा, जिला सागर.	प्रीतम वाल्मिक स्वीपर,प्रा०स्वा केन्द, खिमलासा, जिला सागर	13.5.2012	18.9.2012	5 वर्ष	स्था.अवि/ 17/ 371 दिनांक19.1. 2017	सा०प्र०वि० के पत्र कमांक 3—17/09/1 /3/दिनांक 01.7. 2010 अनुसार एक लाख पच्चीस हजार अनुकंपा अनुदान की पात्रता
3.	अंकिता वाल्मीकी, आया, (कांटी.) जिला चिकित्सालय सागर.	भागीरथ वाल्मिकी स्वीपर, जिला अस्पताल सागर.	02.7.2012	20.1.2017 आवेदन 5 वर्ष विलंब से प्रस्तुत	03 माह	स्था.अवि/ 17/ 2162, दिनांक 04. 04.2017	सा०प्र०वि० के पत्र कमांक 3— 17/09 /1 /3/ दिनांक 01.7.2010 अनुसार एक लाख पच्चीस हजार अनुकंपा अनुदान की पात्रता.

4.	विनय पटेल, फील्डवर्कर (कांटी.) कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी सागर.	बालकदास पटेल, वार्डबाय,सामु०स्वा० केन्द्र,बण्डा, जिला सागर.	09.3.2013	2.05.2013	4 वर्ष	स्था.अवि/ 17/370, दिनांक 19.01.017	सा०प्र०वि० के पत्र कमांक 3–17/09/1/3,दिनांक01.7.2010 अनुसार एक लाख पच्चीस हजार अनुकंपा अनुदान की पात्रता
5.	लक्ष्मी वाल्मिकी, वार्डबाय (कांटी) सामु०स्वा०केन्द्र, राहतगढ़, जिला सागर	मनोज, स्वीपर,सामु०स्वा० केन्द्र, राहतगढ़, जिला सागर.	25.4.2013	27.10.16 आवेदन 3 वर्ष विलंब से प्रस्तुत	4 माह	स्था.अवि/ 17/1641, दिनांक 10.3.2017	सा०प्र०वि०के पत्र कमांक 3–17/09/1/3/ दिनांक 01.7.2010 अनुसार एक लाख पच्चीस हजार अनुकंपा अनुदान की पात्रता।
6.	आशा बाई, आया (कांटीजेंसी) सामु०स्वा०केन्द्र गढ़ाकोटा, जिला सागर.	भरत पारोची (पति)स्वीपर, सामु.स्वा.केन्द्र गढ़ाकोटा, जिला सागर.	20.5.2014	13.2.2017 आवेदन तीन वर्ष विलंब से प्रस्तुत	08 दिन	स्था.अवि/ 17/1114, दिनांक 21.02.17	सा०प्र०वि०के पत्र कमांक 3–17/09/1/3/ दिनांक 01.7.2010 अनुसार एक लाख पच्चीस हजार अनुकंपा अनुदान की पात्रता।
7.	सौरभ वाल्मीकी, वार्डबाय (कांटीजेंसी) जिला चिकित्सालय, सागर	लीला वाल्मीकी, स्वीपर, जिला चिकित्सालय, सागर.	1.02.2015	19.5.2015	2 वर्ष	स्था.अवि/ 17/1639 दिनांक 10.3.2017	सा०प्र०वि के पत्र कमांक सी 3–12/2013/1/3 दिनांक 29.9.2014 अनुसार दो लाख की अनुकंपा अनुदान की पात्रता।
8.	अमर वाल्मीकी, वार्डबाय (कांटी) जिला चिकित्सालय सागर.	ओमप्रकाश स्वीपर. जिला अस्पताल, सागर.	14.4.2015	25.6.2015	2 वर्ष	स्था.अवि/ 17/1640, दिनांक 10.3.2017	सा०प्र०वि० के पत्र कमांक सी 3–12/2013/1/3 दिनांक 29.9.2014 अनुसार दो लाख की अनुकंपा अनुदान की पात्रता।

उपरोक्त तालिका में वर्णित व्यक्तियों की आपके द्वारा की गई नियुक्तियों से यह स्पष्ट है कि आपने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्रों का अध्ययन गंभीरता से नहीं किया एंव शासन के निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

इस प्रकार अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफल रहते हुये सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रों के प्रावधानों का उल्लंघन तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम के उप नियम एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन कर स्वंय को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अभिलेखों की सूची

डॉ.एन.के.सैनी, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, सागर वर्तमान में जिला कुष्ठ अधिकारी, सागर के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जांच के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोपों के संबंध में अभिलेखों की सूची :–

1. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर द्वारा गठित जांच दल द्वारा की गई जांच का जांच प्रतिवेदन कमांक 7921,दिनांक 09.10.2017 ।
2. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र कमांक 2/अवि/सेल. 5/2012/1996–1,भोपाल, दिनांक 21.12.2012.
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी/3–4/1/3/06, दिनांक 18.8.2008, कमांक सी/3–17/2009/1/3, दिनांक 01.07.2010 एंव कमांक सी 3–12/ 2013/1/3, दिनांक 29.9.2014, कमांक सी, 5–1/2016/1/3, दिनांक 31.8.2016 एंव कमांक सी. 5–1–2016–1–3, भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2017

उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

गवाहों की सूची

डॉ.एन.के.सैनी, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, सागर वर्तमान में जिला कुष्ठ अधिकारी, सागर के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जांच के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोपों के संबंध में गवाहों की सूची :–

1. डॉ.एल.के.कटारे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी,सागर म.प्र.।
2. डॉ.डी.के.गोस्वामी, क्षयरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सागर।
3. डॉ.व्ही.एस.तोमर, नेत्ररोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, सागर।
4. डॉ.एस.आर.रोशन, जिला टीकाकरण अधिकारी, सागर।
5. डॉ.शाजिया तबस्सुम, जिला मलेरिया अधिकारी, सागर।

उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश